RBE NO: 35 /2014.

GOVERNMENT OF INDIA(**BHARAT SARKAR**)
MINISTRY OF RAILWAYS(**RAIL MANTRALAYA**)
(RAILWAY BOARD)

.....

NO:E(G) 2014 QR 1-2 (PSU-Abspn.) **New Delhi, Dated: 16 .04.14**

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units.
(Others : As per standard list)

Sub: Retention of Railway quarter in case of absorption following deputation in Railway PSUs.

The question of house retention in case of absorption in Railway PSUs has been considered by the full Board in its last meeting held on 13.01.2014. It has been decided as under:

"Retention permission was granted to the officers as an incentive for the officers to volunteer to go to some PSUs. It has been, however, observed that the officers continue to occupy the Railway houses even after getting absorbed in the PSUs. Henceforth, the officers allowed to retain the houses on deputation shall have to vacate the Railway accommodation as soon as they are absorbed".

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Please acknowledge receipt.

(S.K. PANDA)
Deputy Director, Estt. (Genl.)

NO:E(G) 2014 QR 1-2 (PSU-Abspn.) New Delhi, Dated: 16 .04.14

1. FA & CAO, All Indian Railways and Production Units.
2. Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow.
3. Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways) Room No:224, Rail Bhawan, New Delhi. (copy 46 spares).

For Financial Commissioner/Railways.

आरबीई सं: 35/2014.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी)2014 क्यूआर-1-2 (पीएसयू-अबसॉर्पशन) **नई दिल्ली, दिनांक 16.04.2014**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां
(अन्य : मानक सूची के अनुसार)

विषय: रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति के बाद समावेशन के मामले में रेलवे क्वार्टर अपने पास रखना।

रेलवे के सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समावेशन के मामले में आवास को अपने पास रखने के प्रश्न पर दिनांक 13.01.2014 को आयोजित पिछली बैठक में संपूर्ण बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वेच्छा से जाने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहन के रूप में क्वार्टर अपने पास रखने की अनुमति दी जाती थी। बहरहाल, यह पाया गया है कि अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समावेश किए जाने के बाद भी रेलवे आवास अपने पास रखे रहते हैं। अत: उन अधिकारियों जिन्हें प्रतिनियुक्ति के दौरान आवास अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी, उनका जैसे ही समावेशन हो जाता है, उन्हें रेलवे आवास तुरंत खाली करना होगा"।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

3. कृपया पावती दें।

(एस. के. पांडा)
उपनिदेशक स्था. (सा.)

सं. ई(जी) 2014 क्यूआर 1-2 (पीएसयू- अबसॉर्पशन) **नई दिल्ली, दिनांक 16.04.14**

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
2. संयुक्त निदेशक (वित्त) अ. अ. एवं मा. सं., लखनऊ।
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें